न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरिमोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 20/2017 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2017/00043

अशोक कुमार आत्मज श्री रामदतामल जाति पंजाबी, निवासी बाजार नं0 1 रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 06.12.2016 मि0नं0 290/2016 न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

उपस्थिति

1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–12.04.2022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट ने ग्राम कुदायला की भूमि खसरा नम्बर 602 की 0.45 हे0 किस्म गै0मु0 फैक्ट्री हेतु अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 290/2016 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश एवं 150 रूपये शास्ति एवं 25 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 06.12.2016 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 15.02.2017 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम कुदायला की आराजी खसरा नम्बर 602 किस्म गै0मु0 भूमि अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर 150/– शास्ति व 25 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाबदेही व साक्ष्य का कोई अवसर दिये बिना पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर दिये बिना मनमर्जी रूप से पारित किया है जो पूर्णतया गलत व मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है । वादग्रस्त भूमि पर काफी लम्बे समय से कब्जा है । अपीलान्ट निरंतर लम्बे समय से कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अपने नाम नियमित करवाने का अधिकारी है और अपीलान्ट द्वारा आवंटन नियमों के तहत उक्त भूमि को नियमित करवाने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया हुआ है जिस पर स्वयं तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा उक्त भूमि पर अपीलांट का निरंतर शांति पूर्वक लम्बा कब्जा व उपयोग मानते हुये उक्त भूमि अपीलांट को नियमित किये जाने की अनुशंषा की गई है और अपीलांट के पक्ष में उक्त भूमि को नियमन किये जाने की कार्यवाही जैरकार है जिसके कारण अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी अधिकार

जिला कलेक्टर
कोटा

प्राप्त नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर मनमर्जी रूप से ही अपीलांट के विरूद्व अपीलाधीन निर्णय पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से वास्तविक रूप से कभी भी गत वर्ष 2072 में बेदखल नहीं किया गया है और ना ही अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है । अपीलांट तो वादग्रस्त भूमि पर लम्बे समय से शांतिपूर्वक काबिज होकर नियमन का अधिकारी है । अपीलांट को उक्त एक तरफा निर्णय की पूर्व में कोई भी जानकारी नहीं रही है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 22.01.2017 को पटवारी द्वारा बताये जाने पर हुई है , जिस पर अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 23.01.2017 को आवंदन करने पर दिनांक 27.01.2017 को नकल प्राप्त होने पर यह अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट के आदेश जैर अपील दिनांक 6.12.2016 निरस्त फरमाया जावें ।

4. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर नियमानुसार अतिक्रमण पाया जाने पर कार्यवाही की गई है जो उचित है । अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रही है अपितु अतिक्रमण कर दीवार बना रखी है जो नियमन की परिभाषा में नहीं आने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही उचित है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2016 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 15.02 2017 को पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 06.12.2016 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 22.01.2017 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने के बताए गये कारणों के आधार पर एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए धारा 5 लिमिटेशनन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह क्षम्य है।

6. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम कुदायला के ख0नं0 602 की रकबा 0.45 हे0 गै0मु0 फैक्ट्री पर अशोक कुमार आत्मज रामदतामल पंजाबी बाजार नं0 1 रामगंजमण्डी ने अवैध कब्जा कर निमार्ण कर लिया है । जिस पर अपीलांट के विरूद्व बेदखली करते हुए 150/– रूपये की शास्ति एवं 25 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि को अपीलान्ट के पक्ष में नियमन हेतु तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा सिफारिश किया जाना अंकित किया है तथा उक्त भूमि को नियमन कराने का अधिकारी माना है किन्तु तहसीलदार द्वारा की गई ऐसी कोई सिफारिसी कार्यवाही के दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है जो नियमन की श्रेणी में माना जा सकें । भूमि की किस्म भी गै0मु0फैक्ट्री है ऐसी स्थिति में उक्त अतिक्रमित भूमि नियमन की श्रेणी में नहीं आती है । नायब तहसीलदार चेचट द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.12.2016 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाने से अपील अस्वीकार योग्य पाते है ।

7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6.12.2016 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरिमोहन मीना)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर

कोटा